न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर
बइजलास–डॉ0 अमित यादव, आई.ए.एस

अपील संख्या –151/2023
जी.सी.एम.एस.पोर्टल नम्बर–2023/177

अपीलान्टबनाम	रेस्पोडेन्ट्स
रामनिवास पुत्र तिलोकराम जाति जाट,निवासी–रेलवे स्टेशन के पास बड़ीखाटू,तहसील–जायल	1. बिड़दाराम पुत्र भोलुराम,जाति–मेघवाल माण्डेली निवासी–धीजपुरा,तहसील–जायल। 2. ताराचंद पुत्र तलोकराम 3. रमेश पुत्र तिलोकराम जातियान–जाट,निवासीगण–रेलवे स्टेशन के पास बड़ीखाटू,तहसील–जायल। 4. तहसीलदार,जायल।

उपस्थिति :–
1. अपीलान्ट की ओर से वकील श्री श्याम बारूपाल।
2. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से वकील श्री जोराराम मेहरा।
3. रेस्पोडेन्ट संख्या 4 की ओर से राजपैरोकार श्री ओमप्रकाश पूनियां।

:: निर्णय ::

दिनांक : 23.01.2024

अपीलांट ने धारा 225 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के अन्तर्गत विरूद्व आदेश दिनांक 17.08.2022 मूल एवं पुर्नरावलोकन आवेदन में पारित आदेश दिनांक 05.09.2023 में न्यायालय तहसीलदार,जायल द्वारा प्रकरण संख्या 01/2022 अन्तर्गत धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 229 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट में पारित किये के विरूद्व यह अपील पेश की है। अपील के साथ दफा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना–पत्र भी पेश किया है। अपीलान्ट की अपील ताबे उज्र मियाद दर्ज रजिस्टर कर, अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया व रेस्पोडेण्टस् को जरिये सम्मन तलब किया गया।

रेस्पोडेन्ट संख्या 02 व 03 द्वारा बावजूद पर्याप्त तामिल अपील कार्यवाही में भाग नहीं लिया हैं।

वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा दिनांक 20.12.2023 को प्रार्थना–पत्र अधीन धारा 5 मियाद अधिनियम का जबाब पेश कर मुख्य रूप से यह निवेदन किया हैं कि अपीलांट द्वारा अपील को मयाद में शुमार करने के लिए माकूल जबाब व पर्याप्त कारण नहीं दर्शाया गया हैं,इसलिए अपील अपीलांट खारिज की जावें।

कलक्टर नागौर

वकील उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। विद्वान वकील अपीलांट का दौराने बहस कथन किया हैं कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपीलांट व दीगर रेस्पोडेन्ट्स के विरूद्व अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार,जायल के यहां एक आवेदन अन्तर्गत धारा 183ख (2) राज० टि० एक्ट के तहत पेश कर यह निवेदन किया कि खसरा नं. 1628 रकबा 1.3031 हैक्टेयर मौजा खाटूकलां उसकी खातेदारी का खेत है, जिस पर स्वर्ण जाति के लोगो ने कब्जा कर लिया है जिनसे कब्जा छुड़वा कर कब्जा उसे दिलवाया जावे। उक्त आवेदन का निर्णय तहसीलदार,जायल ने दिनांक 17.8.2022 को करते हुऐ आदेश पारित कर अप्रार्थीगण को बेदखल करने का आदेश दिया था। तत्पश्चात उपरोक्त अपीलांट व दीगर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक पुर्नरावलोकन आवेदन धारा 229 राज० टि० एक्ट के तहत प्रकरण संख्या 1/2022 रामनिवास वगैरा बनाम बिड़दाराम पेश करने पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार,जायल ने दिनांक 5.9.2023 को आंशिक संशोधन करके रामनिवास, ताराचंद, रमेश उर्फ गुलाराम को कथित भूमि से बेदखल करने का आदेश पारित किया है। चूंकि पूर्व में अपीलांट व रेस्पो.सं. 2 व 3 ने रिव्यु का आवेदन पेश किया था इस कारण मूल आदेश के विरूद्ध अपील पेश नहीं की जा सकी, तत्पश्चात रिव्यु आवेदन स्वीकार नहीं करने के कारण उक्त मूल आदेश के विरूद्ध अब यह अपील पेश की जा रही है चूंकि पहले रिव्यु आवेदन विचाराधीन था व रिव्यु विकल्प अपीलांट के पास मौजूद होने से उस विकल्प का उपयोग करते हुऐ रिव्यु आवेदन किया गया था व रिव्यु आवेदन दिनांक 5.9.2023 को खारिज हो जाने के कारण प्रकरण में पारित मूल आदेश दिनांक 17.8.2022 की प्रमाणित प्रतियां दिनांक 12.9.2023 को प्राप्त होने से कानूनी राय लेकर यह अपील पेश की हैं। इसलिए अपील पेश करने में हुई देरी को माफ करते हुवे अपील अन्दर मियाद शुमार फरमायी जावें।

विद्वान वकील अपीलांट का यह भी कथन हैं कि प्रकरण हाजा से संबंधित खसरा नं. 1628 शुरू से ही अपीलांट व रेस्पो.सं. 2 व 3 के कब्जासुद कानूनन खातेदारी का खेत रहा हैं लेकिन राजस्व रेकर्ड में रेस्पो.सं. 1 के नाम गलत रूप से खातेदारी इन्द्राज हो जाने का आधार बना कर भूमाफिया गिरोह के बहकावे में आकर लम्बे समय बाद इस तरह की कार्यवाही की है, जबकि खातेदारी इस जमीन की रेस्पो.सं. 1 के नाम से गलत दर्ज हो रखी है इस बाबत किसी प्रकार का गौर, जांच विवेचन विश्लेषण किये बिना ही तहसीलदार, जायल ने आदेश जैर अपील पारित करने में विधिक त्रुटि की है। प्रकरण हाजा में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183 ख (2) के तहत कोई मामला नहीं बनता है अधीनस्थ न्यायालय ने अपने पूर्व आदेश दिनांक 17.08.2022 में आंशिक संशोधन कर खाटूकलां का खसरा नम्बर 1628 रकबा 1.3031 हैक्टेयर भूमि पर से रामनिवास, ताराचन्द उर्फ नानूराम, रमेश उर्फ गुलाराम पुत्रगण तिलोकराम जाति जाट निवासी रेल्वे स्टेशन बड़ी खाटू को बेदखल किये जाने का आदेश पारित करने में भारी कानूनी भूल की है। उक्त आराजी पर प्रार्थीगण (अपीलांट व रेस्पो.सं. 2 व 3) व इनके पिता का कदीमी काल से कब्जा रहता चला आया है प्रार्थीगण के पिता के पक्ष में अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 बिड़दाराम के पिता के द्वारा की गई लिखापढ़ी (ईकरारनामा) भी अधीनस्थ न्यायालय में पेश

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर नागौर

किया गया था। जिसे भी नजर अन्दाज किया है व उस बाबत कोई विवेचन विश्लेषण नहीं किया गया है।

विद्वान वकील अपीलांट का यह भी कथन हैं कि अपीलांट व रेस्पो. संख्या 2 व 3 ने एक दावा भी न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,जायल में धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत रेस्पोडेन्ट संख्या 1 बिड़दाराम के विरूद्व पेश कर रखा है व उक्त भूमि बाबत अपीलांट व रेस्पो.संख्या 2 व 3 के पिता के हक में लिखापढी भी हो रखी हैं। उक्त भूमि उनकी बडेर की भूमि हैं व उनके पिता के हक में दिनांक 17.11.1959 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 बिड़दाराम के पिता तिलोकराम ने लिख कर दिया तथा कब्जा भी दिनांक 17.11.1969 को मौजिज व्यक्तियों की उपस्थिति में सुपुर्द कर दिया जिसमें यह भी अंकित किया गया कि मैं व मेरी आल औलाद कोई उज्जर, दावा,पंच पचायती, कोर्ट कचहरी में उक्त खसरे का वाद विवाद नहीं करेंगें न ही कब्जा प्राप्त करने व न ही खातेदारी प्राप्त करने की कोई कोशिश करेगें। इस लिखा पढ़ी से यह स्पष्ट हैं कि अपीलांट व रेस्पो.संख्या 2 व 3 के पिता के द्वारा दिनांक 17.11.1969 से उक्त खेत व खसरा नम्बर 1628 रकबा 1.3031 हैक्टेयर अर्थात् 8.01 बीघा पर कब्जा अपीलांट व रेस्पो संख्या 2 व 3 के पिता का रहा हैं एवं अपीलांट व रेस्पो संख्या 2 व 3 के पिता के स्वर्गवास के बाद से अपीलांट व रेस्पो संख्या 2 व 3 का निरन्तर आबाद रूप से चलता आ रहा है जिस पर अपीलांट के पिता द्वारा रहवासीढाणी बनाई हुई है तथा उसके बाद अपीलांट व रेस्पो संख्या 2 व 3 ने अपनी सहुलीयत के अनुसार कच्चे पक्के निर्माण कर उक्त खेत पर कब्जा काश्त चलता आ रहा है इसी खेत के कुछ भाग पर पुराने समय में जहां से रेललाईन निकलती थी वहां से रेलवे विभाग को दिया गया जिस रेलवे विभाग के द्वारा वादीगण के पिता तिलोकराम व तिलोकराम के पिता द्वारा रेलवे को जल आपूर्ति करते थे जिस समय जल आपूर्ति का कृत्रिम साधन नहीं होने से अपीलांट के बढेरों द्वारा रेल को पानी की सप्लाई करने का कार्य किया जाता था उस समय से अपीलांट व उसके बढेर का कब्जा काश्त उस समय से चलता आ रहा है। आज दिन भी मौके पर अपीलांट व रेस्पो.संख्या 2 व 3 का कब्जा काश्त है एवं फसल बोते एवं फसल अवेरतें है । रेस्पोडेंटसंख्या 1 का मौके पर कोई कब्जा नहीं हैं एवं न ही रेस्पो.सं. 1 ने मौके पर कभी काश्त की है। अपीलांट के पिता ने कभी खातेदारी की तरफ ध्यान नहीं दिया तथा सेटलमेंट वर्ष 1969 से पूर्व हो चूका था तथा खातेदारी अपीलांट व रेस्पो.संख्या 2 व 3 के पिता ने विश्वास में रहते हुए अपने नाम दर्ज नहीं करवाई मात्र लिखापढ़ी के आधार पर तथा मौजिज व्यक्तियों को साक्षी मानकर पर्चा लगान की राशि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पिता द्वारा चुकत नहीं करने पर अपीलांट के पिता ने पर्चा लगान की राशि चुकत कर कब्जा अपने अधिकार में ले लिया जो निरन्तर रूप से आज दिन तक है तथा गिरदावरी अपीलांट के पिता तथा उसके बाद से अपीलांट व रेस्पो. संख्या 2 व 3 के नाम दर्ज रहती रही हैं। जिससे साबित है कि वर्ष 1960 में उक्त खेत खसरा नम्बर 1628 रकबा 1.3031 हैक्टेयर अर्थात् 8.01 बीघा को खरीद कर कब्जा प्राप्त किया था तथा उसी दिन से अपीलांट व रेस्पो संख्या 2 व 3 के पिता व दादा तथा उनके बाद अपीलांट व रेस्पो.संख्या 2 व 3 का कब्जा काश्त निर्बाध रुप से आज तक चलता आ रहा है तथा अब

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर नागौर

अपीलांट व रेस्पो संख्या 2 व 3 स्वयं का मुतदाविया भूमि पर कब्जा व काश्त शान्तिपूर्वक चला आ रहा है वर्ष 1969 से निर्बाद्ध रूप से कब्जा काश्त होने के बावजूद भू–राजस्व अधिकारियों की गलती से पर्चा लगान रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पिता के नाम जारी कर दिया जो बिना कब्जा काश्त के मात्र राजस्व कर्मचारिया/अधिकारियों की गलती से जारी हुआ जिससे रेस्पो.सं. 1 कानूनन खातेदार नहीं हो सकता है उसे अपीलांट व रेस्पो संख्या 2 व 3 के विरूद्ध कार्यवाही करने का अधिकार नहीं था एवं न ही है। अपीलांट व रेस्पो. संख्या 2 व 3 के पिता व दादा का वर्ष 1969 से लगातार कब्जा काश्त रहा व पारिवारिक बंटवारा में खसरा नम्बर 1628 रकबा 1.3031 हैक्टेयर अर्थात् 8.01 बीघा मौजा खाटूबड़ी में अपीलांट व रेस्पो. संख्या 2 व 3 के बराबर–बराबर के हक बंट कब्जे काश्त एवं खातेदारी में रखने के कारण उक्त खेत पर बंटवाड़े के बाद से लेकर आज दिन तक केवल मात्र अपीलांट व रेस्पो. संख्या 2 व 3 का ही कब्जा काश्त होने से खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के लिए सक्षम न्यायालय में वाद भी पेश कर रखा हैं।

इसलिए निवेदन हैं कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावें तथा अधीनस्थ द्वारा पारित दोनों आदेश निरस्त फरमाये जावें।

वकील रेस्पोडेन्ट संख्या एक द्वारा दिनांक 20.12.2023 को लिखित बहस पेश यह निवेदन किया हैं कि मुझ रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, जायल के यहां एक आवेदन अन्तर्गत धारा 183ख(2) राज0 टि० एक्ट के तहत पेश कर निवेदन किया था कि खसरा नं. 1628 रकबा 1.3031 हैक्टेयर मौजा खाटूकला उसकी खातेदारी का खेत है जिस पर स्वर्ण जाति के लोगों ने कब्जा कर लिया है जिनसे कब्जा छुड़वा कर मुझे कब्जा दिलवाया जावे। उक्त आवेदन का विधि सम्मत निर्णय तहसीलदार जी जायल ने दिनांक 17.8.2022 को करते हुऐ आदेश पारित कर अप्रार्थीगण को बेदखल करने का आदेश दिया था। तत्पश्चात उपरोक्त अपीलांट व दीगर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 ने मिलकर अधीनस्थ न्यायालय में सरासर गलत आधारो पर पुर्नरावलोकन का मिथ्या आवेदन धारा 229 राज० टि० एक्ट के तहत पेश किया था जो प्रकरण संख्या 1/2022 रामनिवास वगैरा बनाम बिड़दाराम दर्ज हुआ। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार,जायल द्वारा दिनांक 5.9.2023 को रामनिवास, ताराचंद, रमेश उर्फ गुलाराम को कथित भूमि से बेदखल करने का आदेश पारित किया था। मूल आदेश के विरूद्ध कोई अपील पेश नहीं की गयी तथा रिव्यु आवेदन स्वीकार नहीं होने पर उसके विरूद्व यह अपील पेश की है जो आदेश अपील योग्य नहीं है व उसके विरूद्ध अपील पोषणीय नहीं हैं तथा देरी का कोई माकूल व पर्याप्त कारण भी नहीं है,इसलिए अपील खारिज किये जाने योग्य है। विद्वान वकील अपीलांट का यह भी कथन हैं कि प्रकरण हाजा से संबंधित खसरा नं. 1628 शुरू से ही अपीलांट व रेस्पो.सं.2 व 3 के कब्जासुद कानूनन खातेदारी का खेत रहा हो यह गलत हैं, जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के कब्जासुद खातेदारी की भूमि रही है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 गरीब अनुसूचित जाति का काश्तकार व्यक्ति व रेकर्डेड खातेदार है उसके नाम खातेदारी इन्द्राज कतई गलत दर्ज नहीं हुऐ है अपीलांट की खातेदारी को गलत दर्ज होना बता कर अपील पेश नहीं की जा सकती है,यदि ऐसा होता तो उसके संबंध में सक्षम न्यायालय में अलग से कार्यवाही करनी चाहिए.

कलक्टर नागौर

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

अपील में रेस्पोडेन्ट की सही खातेदारी को गलत दर्ज होने का कथन करके अपीलांट कोई अनुतोष प्राप्त नहीं कर सकता है। अधीनस्थ न्यायालय ने विधिवत सम्पूर्ण तथ्यो पर गौर करके, जांच विवेचन विश्लेषण करते हुऐ निर्णय जैर अपील पारित किया है।

प्रार्थीगण के पिता के पक्ष में अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 बिड़दाराम के पिता के द्वारा कथित कोई लिखापढ़ी (ईकरारनामा) नहीं किया था, फर्जी व कूटरचित दस्तोवज तैयार कर लेने से मुझ रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की खातेदारी भूमि को अपीलांट वगैरा हड़प नहीं कर सकते है। अधीनस्थ न्यायालय ने सभी तथ्यो को मध्य नजर रखते हुऐ विधि सम्मत आदेश पारित किया है किसी भी तथ्य को नजर अन्दाज नहीं किया है। अपीलांट व रेस्पो.संख्या 2 व 3 ने एक दावा भी न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,जायल में धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत रेस्पोडेन्ट संख्या 1 बिड़दाराम के विरूद्ध अवश्य पेश किया है जो सरासर गलत, विधिविरूद्व है और जब दावा चल रहा है तो अपील का कोई औचित्य ही नहीं है। दावा में साक्ष्य सबूत लेकर तनकियात कायम होकर निर्णय होगा। कथित मिथ्या व फर्जी तैयार की गयी लिखापढी के आधार पर आदेश जैर अपील को अपास्त नहीं करवाया जा सकता है ऐसी लिखापढी से अपीलांट को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है न रेस्पोडेन्ट के अधिकार समाप्त होते है, कथित गैर कानूनी कब्जा को विधि सम्मत ठहराने के लिए सारे मिथ्या तथ्य दर्जकर अपील पेश की है यदि ऐसी कोई लिखापढी होती तो उसी समय खातेदारी दर्ज करवाई जाती, जबकि ऐसी कोई लिखापढी हुई भी नहीं थी, गरीब अनुसूचित जाति के व्यक्ति के जमीन हड़पने के लिए सलाह मशविरा करके झुठी लिखापढी तैयार की है। अपीलांट के पिता ने पर्चा लगान की राशि चुकत कर कब्जा अपने अधिकार में लेने आदि के सारे मिथ्या तथ्य अपील में दर्ज किये गये है। गिरदावरी दस्तावेज स्वामित्व का आधार नहीं हो सकता है। भूमि विक्रय यदि होती है तो उसके संबंध में रजिस्टर्ड हस्तान्तरण विलेख होना आवश्यक होता है,यही विधि की मंशा है । राजस्व अधिकारियों की गलती से पर्चा लगान रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पिता के नाम जारी नहीं किया हैं जबकि विधिवत बाद जांच पर्चा लगान जारी किया व उतरोतर रेस्पो.सं. 1 कानूनन खातेदार हुआ,वरहा व है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को अपीलांट व रेस्पो. संख्या 2 व 3 के विरूद्ध कार्यवाही करने का अधिकार था व है, अपीलांट व दीगर रेस्पोडेन्टान ने नाजायज मजमा बना रखा है व लाठी के बल पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की खातेदारी भूमि को हड़पना चाहता है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 रेकर्डेड खातेदार है उसके पक्ष में पारित आदेश को सरासर गलत ढंग से चुनोती दी है व अपील के जरिये बदनियती से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की खातेदारी समाप्त करवाना चाहते है जो कतई उचित व न्याय संगत नहीं है, न ही ऐसे अभिवचनो पर आधारित अपील स्वीकार योग्य है अन्यथा उसका अपीलांट व दीगर रेस्पोडेन्ट दुरूपयोग कर मौके पर पुख्ता कब्जा करने का प्रयास करेगे व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को अपूर्णीय क्षति कारित होगी, इन परिस्थितियों में अपील खारिज किये जाने योग्य है, अपील न्यायालय हाजा में पोषणीय भी नहीं हैं व मियाद बाहर है, विधि विरूद्व होने से खारिज किये जाने योग्य है। इसलिए अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावें।

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर नागौर

वकील उभय पक्षकरान की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपील के साथ पेश किये गये दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना–पत्र एवं प्रार्थना–पत्र के साथ पेश किये गये शपथ–पत्र के आधार पर अपील अपीलांट अन्दर मयाद शुमार की जाती हैं।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रेकार्ड जमाबंदी नकल खाता संख्या 291/232 सम्वत् 2073–76 ग्राम खाटूकलां में आराजी खेत खसरा नम्बर 1628 रकबा 1.3031 है0 की खातेदारी बिड़ाराम पुत्र भोलाराम जाति–मेघवाल सा0 धीजपुरा खातेदार दर्ज हैं। इस राजस्व रेकार्ड से आराजी खेत खसरा नम्बर 1628 अपीलांट की खातेदारी की भूमि हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रश्नगत भूमि की मौका की रिपोर्ट पटवारी हल्का से तलब किये जाने पर पटवारी हल्का खाटूकलां एवं भू0अभिलेख निरीक्षक,बड़ीखाटू द्वारा खसरा नम्बर 1628 मौका निरीक्षण दिनांक 04.08.2022 को किया जाकर रिपोर्ट न्यायालय में दिनांक 08.08.2022 को पेश की हैं। इस फर्द मौका रिपोर्ट में यह अंकित किया हैं कि राजस्व रिकार्ड के मुताबिक उक्त भूमि बिड़दाराम पुत्र भोलाराम,जाति–मेघवाल निवासी धीजपुरा के नाम से है। मौके पर उपस्थित अप्रार्थीगण रामनिवास,नानूराम,गुलाराम पिता तिलोकराम जाति–जाट ने बताया की उक्त भूमि पर कई वर्षो से हमारा कब्जा हैं पूर्व में हमारे पिता तिलोकराम इस भूमि पर कब्जा काश्त करते आये हैं तथा पिता के फौत होने के पश्चात् हम तीनों भाईयों का कब्जा रहा हैं। पटवारी हल्का,खाटूकलां द्वारा पेश की गई रिपोर्ट दिनांक 05.08.2022 में यह स्पष्ट उल्लेख किया हैं कि मौजा खाटूकलां के खसरा नम्बर 1628 रकबा 1.3031 है0 किस्म बा02 जो कि वर्तमान जमाबंदी सम्वत् 2073–76 में खातेदार बीड़दाराम पुत्र भोलाराम जाति मेघवाल के नाम दर्ज हैं जिस भूमि पर वर्तमान में रामनिवास नाथूराम गुलाराम पिता तिलोकराम जाति–जाट का कब्जा हैं।

राजस्व कार्मिको द्वारा पेश की गई उपरोक्त रिपोर्ट से यह स्पष्ट प्रकट हैं कि एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति की खातेदारी की भूमि पर स्वर्ण जाति के व्यक्ति बिना किसी वैध अधिकार के कास्त व कब्जा हैं,जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183(बी) के विरूद्व हैं। इसलिए प्रकरण में तहसीलदार,जायल द्वारा जो आदेश दिनांक 17.08.2022 पारित कर अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 3 को इस भूमि से जो बेदखली का आदेश दिया गया हैं,यह आदेश विधि सम्मत् पारित किया गया हैं। इसलिए इस आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किये जाने के आवश्यकता नहीं हैं।

प्रस्तुत प्रकरण में एक कानूनी बिन्दू यह भी हैं कि तहसीलदार,जायल द्वारा इस प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 17.08.2022 के पुर्नरावलोकन हेतु पुनः प्रकरण दर्ज कर दिनांक 05.09.2023 को पुनः निर्णय पारित किया गया हैं। इस पुर्नरावलोकन के समय पक्षकारों के दस्तावेज एवं बयान सम्मिलित करते हुवे पुनः इसी प्रकरण में दिनांक 05.09.2023 को निर्णय पारित किया गया हैं,जबकि पुर्नरावलोकन के मामले में आदेश 47 नियम 1 सी0पी0सी0 के अनुसार ही कार्यवाही करनी होती हैं,इसलिए पूर्व में दिये गये निर्णय के सम्बन्ध में पुनः साक्ष्य संग्रहित करवाये जाकर निर्णय पारित किये जाने का प्रावधान नहीं हैं। हॉलाकि तहसीलदार,जायल द्वारा आदेश दिनांक 05.09.2023 में पूर्व आदेश 17.08.2022

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर नागौर

को यथावत् रखा हैं केवल मात्र बेदखल किये जाने वाले अप्रार्थीगण के नामो में संशोधन किया हैं,जो विधिक ही हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आधारहीन होने से खारिज योग्य हैं। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती हैं तथा तहसीलदार,जायल द्वारा इस प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 17.08.2022 एवं दिनांक 05.09.2023 यथावत् रखे जाते हैं। अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय की प्रति सहित रिकार्ड पुनः लौटाया जावें।

निर्णय आज दिनांक 23.01.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ.अमित यादव)
जिला कलक्टर, नागौर
कलक्टर नागौर